न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व प्रार्थना–पत्र / विविध / 18 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

हेराजराम पुत्र खुमाराम का.मु.

1. जेठाराम पुत्र हेराजराम
2. बाबुलाल पुत्र हेराजराम
3. रेंवताराम पुत्र हेराजराम
4. धापुदेवी पत्नी हेराजराम

जाति जाट निवासी सांगाणा कुंआ रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चेतनराम पुत्र केशराराम का.मु.

1 / 1जोगाराम पुत्र चेतनराम

1 / 2सुरेश चौधरी पुत्र चेतनराम

1 / 3श्रीमती गवरीदेवी पत्नी चेतनराम

2.मोडाराम पुत्र केशराराम के का.मु.

2 / 1राजुराम पुत्र मोडाराम

2 / 2हुकमाराम पुत्र मोडाराम

2 / 3खेराजराम पुत्र मोडाराम

2 / 4दमी पुत्री मोडाराम

3.अनराम पुत्र केशराराम का.मु.

3 / 1रावताराम पुत्र अन्नाराम

3 / 2बगताराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी सांगाणा कुंआ रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

4.तहसीलदार बाड़मेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी पी सी निरस्त करने एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.07.2019 जो राजस्व अपील संख्या 21 / 2013 बअनवान हेराजराम बनाम चेतनराम वगै. में पारित किया गया के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 14.06.2022

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त अपील में अपना अधिवक्ता श्री बाबुलाल सारण को नियुक्त किया गया था तथा प्रार्थी के पिता को उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया था कि राजस्व न्यायालयों में पक्षकारों की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस अपील का वह निर्णय करवाने पर सूचित कर देंगे। उसके बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थीगण के पिता समय पर अपने अधिवक्ता से मिलते रहे तथा उनके द्वारा विप्रार्थीगण के फौतगी की सूचना भी दी गई तथा उनके कायम मुकामों को भी रैकर्ड पर लेने हेतु आवेदन किये गये। आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के पिता बीमार हो गये तथा वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये थे तथा उनके अधिवक्ता श्री बाबुलाल सारण ने उतरदाता संख्या 1/2 सुरेश चौधरी जो स्वयं अधिवक्ता है उनके प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति नहीं दी जिसके कारण उक्त प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में दिनांक 29.07.2019 को खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता के पिता जो काफी समय से बीमार थे तथा उनके लीवर केन्सर जैसी घातक बीमारी से देहान्त दिनांक 25.07.2020 को हो गया। न्यायहित में उक्त अपील में अधिवक्ता की चुक की सजा अपीलांट को दी जानी सही नहीं है क्योंकि इससे अपीलांट न्याय पाने से वंचित हो जाएगा। उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण की अपील को हाजा न्यायालय द्वारा अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज हुआ। उस स्थिति में अगर रिलिफ चाहिये तो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर जाये। हाजा न्यायालय में हस्तगत आवेदन अपीलांटगण द्वारा पेश किया गया जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत आवेदन जिस आदेश के विरूद्ध पेश किया गया वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांटगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी पर आदेश पारित करना उचित होगा। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपीलकर्ताओ को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील प्रार्थीगण के पिता हेराजराम द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर देने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता हेराजराम का स्वर्गवास हो गया। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण को अपने पिताजी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में बतौर पक्षकार बनगर अग्रिम कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। विप्रार्थी संख्या 1/3 गवरीदेवी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थी लेकिन विप्रार्थी संख्या 1/3 उक्त खेतों में सह खातेदार है इसलिए उसको

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसकी अनुमति प्रदान करना भी न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपीलकर्ताओ को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत प्रकरण को लंबा करने की नियत से आवेदन पेश किया गया जबकि प्रकरण में अपीलांटगण स्वयं द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही समय पर नहीं की गई। अतः अपीलांटगण का आवेदन खारिज किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपीलकर्ताओ को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांटगण मूल अपील में पक्षकार नहीं थे तथा विप्रार्थी संख्या 1/3 गवरीदेवी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं थी लेकिन विप्रार्थी संख्या 1/3 उक्त खेतों में सह खातेदार है। अपीलांटगण हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है इसलिए अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता के पिता के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण अपीलकर्ता द्वारा अपने पिताजी के दस्तावेजो की जांच पड़ताल घर पर की तब प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थीगण ने अपने पिताजी के अधिवक्ता श्री बाबुलाल सारण से सर्म्पक कर अपने प्रकरण की स्थिति के बारे में जानकारी चाही लेकिन उनके अधिवक्ता ने बताया कि उन्होने वर्ष 2019 में उक्त प्रकरण में उपस्थिति नही दी थी इस कारण उक्त प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो गया। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में दिनांक 29.07.2019 को प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी हुई। उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपित प्रार्थीगण को दिनांक 08.10.2020 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त अपील में अपना अधिवक्ता श्री बाबुलाल सारण को नियुक्त किया गया था। पत्रावली पेशी में आई तब अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी , अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज की गई। न्यायहित में उक्त अपील में अधिवक्ता की चूक की सजा अपीलांट को दी जानी सही नहीं है क्योंकि इससे अपीलांट न्याय पाने से वंचित हो जाएगा। अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांटगण के अधिवक्ता मूल पत्रावली में संशोधित शीर्षक पेश करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर